

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
8 अगस्त 2023

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट खादी और
ग्रामोद्योग आयोग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित विभागीय व्यापार
इकाइयों पर आज संसद में प्रस्तुत**

‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित विभागीय व्यापार इकाइयों’ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2023 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गठन भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम अर्थात् 1956 के 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम' के अंतर्गत ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने, संगठित करने और सहायता करने के लिए किया गया था। केवीआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। केवीआईसी के तीन मुख्य उद्देश्य हैं, जो इसकी कार्य पद्धति का मार्गदर्शन करते हैं (i) सामाजिक उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना; (ii) आर्थिक उद्देश्य - बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना; और (iii) व्यापक उद्देश्य - जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना।

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन और बिक्री गतिविधियों को पूरा करने के लिए केवीआईसी द्वारा विभागीय व्यापारिक इकाइयों की स्थापना की गई थी। विभागीय व्यापारिक इकाइयों में केंद्रीय पूनी संयंत्र, खादी ग्रामोद्योग भवन और अन्य व्यापारिक इकाइयां शामिल हैं। केवीआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों की स्थापना की थी। इनमें से केवल 18 विभागीय व्यापारिक इकाइयां 31 मार्च 2021 तक कार्यात्मक थीं और 74 विभागीय व्यापारिक इकाइयां समयावधि में निष्क्रिय हो गईं।

अनुपालन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 18 कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संचालन का मूल्यांकन किया। बंद होने के कारणों और प्रभाव का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने 25 निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों की सामान्य संवीक्षा भी की।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2017-18 से 2020-21 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, केवीआईसी ने विभागीय व्यापार इकाइयों में खरीद और विपणन प्रथाओं में सुधार के लिए कई सुविचारित उपाय शुरू किए हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ये पहल सफलता के वांछित स्तर को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और कमजोरियाँ थीं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयाँ

इस तथ्य के बावजूद कि केवल 20 प्रतिशत से कम विभागीय व्यापारिक इकाइयाँ परिचालन जारी रखने में सक्षम थीं, केवीआईसी ने विभागीय व्यापारिक इकाइयों के निष्क्रिय होने के कारणों की पहचान करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है। 25 विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से 11 के मामले में बंद होने का कारण उपलब्ध नहीं था। तीन विभागीय व्यापारिक इकाइयों के मामले में, बंद होने के कारण और औचित्य विश्वसनीय नहीं थे और उनके बंद होने से रोकने के लिए केवीआईसी के प्रयासों में कमी दिखाई देती हैं। अन्य दो विभागीय व्यापारिक इकाइयों के मामले में, निजी पार्टियों ने खादी उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के माध्यम से काफी राजस्व उत्पन्न किया था जो इन विभागीय व्यापारिक इकाइयों के माध्यम से राजस्व सृजन की गुंजाइश को दर्शाता है। हालांकि केवीआईसी द्वारा कमियों की पहचान की जा रही थी और सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही थी लेकिन परिसंपत्तियों के निपटान, बकाया राशि की वसूली, लेखाओं के निपटान और कर्मचारियों की पुनः तैनाती में कुछ निष्क्रिय इकाइयों में विलंब हुआ।

(पैराग्राफ 3.1, 3.2 और 3.3)

विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अधिप्राप्ति और उत्पादन

केवीआईसी ने पारदर्शिता और विक्रयशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा खादी संस्थानों और ग्रामोद्योग संस्थानों से उत्पादों की अधिप्राप्ति के संबंध में समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। निर्धारित खरीद प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए विभागीय व्यापारिक इकाइयों की ओर से कमी योजनाओं में अंतराल का कारण बना और खरीद की पारदर्शिता में कमजोरी आई जिसके कारण सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए उचित अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए।

भले ही केवीआईसी ने खादी क्षेत्र के लिए खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की थी, जिसमें खादी ग्रामोद्योग भवनों की अधिप्राप्ति/बिक्री डेटा अपलोड करने के लिए एक मॉड्यूल शामिल था, लेकिन इस डेटा को अधिप्राप्ति योजनाओं पर इनपुट प्राप्त करने और बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए मद-वार, आपूर्तिकर्ता-वार जानकारी में संकलित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.1)

केवीआईसी के खादी ग्रामोद्योग भवन खादी संस्थानों से उत्पादन सब्सिडी (संशोधित बाजार विकास सहायता) का अतिरिक्त हिस्सा एकत्र कर रहे थे, जिनके उत्पाद उनके माध्यम से बिक्री किए जा रहे थे।

(पैराग्राफ 4.3.1)

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित खादी सुधार और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के नवीकरण हेतु परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि, निष्क्रिय मजदूरी के भुगतान (₹89 लाख) और उत्पादन हानि (₹11.15 करोड़ प्रति वर्ष) के कारण परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.4.2.2)

केवीआईसी प्रबंधन प्रभावी निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सभी विभागीय व्यापारिक इकाइयों और खादी संस्थानों ने केंद्रीय पूनी संयंत्रों में अपने उत्पादों का परीक्षण किया ताकि स्थापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके और खादी कपड़े की प्रामाणिकता की गारंटी दी जा सके।

(पैराग्राफ 4.4.3)

विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा विपणन और बिक्री

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, केवीआईसी ने ई-कॉमर्स, बाजार सर्वेक्षण, उत्पाद सूची और स्वेच बुक के विकास, विपणन सलाहकारों की भर्ती, फ्रेंचाइजी योजना, खादी कोर्नर का निर्माण, खादी प्लाजा का निर्माण, खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण, आदि के कार्यान्वयन जैसे कई सुविचारित विपणन पहल को लागू करने का प्रयास किया। केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित इन पहल को, जो पूरे खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को लाभान्वित कर सकती हैं, अलग-अलग स्तर की सफलता प्राप्त हुई। केवीआईसी ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की घरेलू और निर्यात बिक्री बढ़ाने के लिए घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया और व्यापक उत्पाद सूची विकसित करने की भी आवश्यकता थी।

(पैराग्राफ 5.1. 5.1.2 और 5.1.3)

केवीआईसी को उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को परिभाषित नहीं करने और सुपुर्दगी दायित्व की निगरानी में कमी के कारण बाह्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति का पर्याप्त रूप से लाभ नहीं मिला। उपलब्धता और बिक्री बढ़ाने की योजनाएं जैसे कि फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना, खुदरा श्रृंखला स्टोरों में "खादी कोर्नर्स" की स्थापना आदि, सीमित पैमाने पर लागू की गईं, जिसे वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली।

(पैराग्राफ 5.1.4, 5.1.5 और 5.1.6)

निधि आवंटित होने के बावजूद खादी प्लाजा स्थापित नहीं किए जा सके। खादी ग्रामोद्योग भवनों की अवसंरचना का आवश्यकतानुसार नवीनीकरण नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 5.1.7, और 5.1.8)

भले ही केवीआईसी ने "खादी" जैसे ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने में कामयाबी हासिल की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में केवल अधिकृत उत्पादों की ही बिक्री हो, फिर भी अवैध रूप से ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाली फर्मों के खिलाफ अधिक कठोर कार्रवाई की आवश्यकता थी।

(पैराग्राफ 5.1.11)

खादी ग्रामोद्योग भवन बिक्री लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और यह देखा गया कि वार्षिक बजट और बिक्री लक्ष्यों की तैयारी और अनुमोदन में देरी हुई। बिक्री योजना प्रक्रिया अप्रभावी थी और बाजार के रुझानों का उचित विश्लेषण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 5.2.1.1)

केवीआईसी आपूर्तिकर्ताओं की कमी के कारण थोक/सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।

(पैराग्राफ 5.2.1.2)

विभागीय व्यापारिक इकाइयों में वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में खामियां थीं जैसे कि निर्धारित क्रेडिट नीति के कार्यान्वयन, देनदारों की पुष्टि, बैंक खातों का मिलान न होना, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन न करना आदि। खादी संस्थानों, केंद्रीय पूनी संयंत्रों और विभागीय व्यापारिक इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा या तो आयोजित ही नहीं की गई थी या आच्छादित की गई इकाइयों, आच्छादित की गई अवधि और टिप्पणियों के दायरे के संदर्भ में कमी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी या शीर्ष प्रबंधन के समक्ष नहीं रखा जा रहा था।

(पैराग्राफ 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 और 6.3)